न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 55/2020

अनवान

1. भगवानी पुत्री लाला अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
2. रतन लाल पुत्र लाला अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
3. सत्यनारायण पुत्र लाला अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
4. साकरीदेवी पत्नि लाल अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
5. सोसर पुत्र लाला अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन लाल पुत्र लक्ष्मण अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
2. नाना पुत्र सोराम अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
3. धापु पत्नि लक्ष्मण अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
4. नरायण पुत्र सोराम अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
5. कैलाश पुत्र मांगीलाल पारीक नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
6. शकर लाल पुत्र सोला अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
7. देवी पुत्र उदा अहीर नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
8. भैरू पुत्र कैला गाडरी नि. औज्याडा तह हमीरगढ।
9. बद्री पिता भैरू बलाई नि.रतनपुरा तह हमीरगढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19—01—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 592 की कृषि भूमि की आ.न. 1507 रकबा 0.5564 आ.न. 1510 रकबा 0.3541है0, आ.न. 1512 रकबा 0.1391है. आ.न. 1513 रकबा 0.2782 कुल किता 04 रकबा 1.3278 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.08.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायात 08 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:30:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेशित किये जाते है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 592 की कृषि भूमि की आ.न. 1507 रकबा 0.5564 आ.न. 1510 रकबा 0.3541है0, आ.न. 1512 रकबा 0.1391है. आ.न. 1513 रकबा 0.2782 कुल किता 04 रकबा 1.3278 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ भीलवाडा